राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प. 6(24)प्र.सु./अनु.–3/2018 जयपुर, दिनांक : 18-7-2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी का विलोपन हो गया है। अतः नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में गठित समिति के स्थान पर भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीएमआईसी विभाग	अध्यक्ष
(ii) आयुक्त, डीएमआईसी विभाग	सदस्य
(iii) संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, डीएमआईसी/उद्योग(ग्रुप–1)	सदस्य
(iv) मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.)	सदस्य
(v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति की बैठक का ऐजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण का माननीय प्रभारी मंत्री, डीएमआईसी एवं अध्यक्ष, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।

समिति का प्रशासनिक विभाग दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग होगा।

18/7

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, नगर परिषद, भिवाड़ी।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीएमआईसी विभाग ।
4. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी विभाग ।
5. शासन उप सचिव, डीएमआईसी/उद्योग(ग्रुप–1)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी।
7. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.17(1)डीएमआईसी/बीडा/2017 पार्ट–2

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

Sh. Devendra

19.07.18

(ग्रुप–1) विभाग जयपुर 2963 20/07/18